

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//सूचना//

भोपाल दिनांक 24-2-18

कमांक-एफ-3-95/2015/18-5 :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत हरदा निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 24/02/2018 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा -

- (1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश ,नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
- (2) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय होशंगाबाद।

2/ प्रारूप विकास योजना हरदा 2021 की पुस्तिका में कंडिका 4.7.1 तथा कंडिका 4.24 में टंकन त्रुटियों में सुधार किया जाना प्रस्तावित है।

3/ उपांतरण का विवरण:-

हरदा विकास योजना 2021 के रंगीन मानचित्र कमांक 2.3, कंडिका 4.20(स) का द्वितीय पैरा एवं कंडिका 4.24 की सारणी 4-सा-19 के अनुक्रमांक 4 एवं 8 में उपांतरण प्रस्तावित है।

4/ प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

5/ उक्त उपांतरण विवरण के संबध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी.के.साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल

//सूचना//

भोपाल दिनांक 24/12/2018

क्रमांक एफ-3-95/15/18-5 :: एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत हरदा निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2031 मे राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा-2 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणो का विवरण प्रकाशित किया जा रहा है उपांतरणो का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा निम्नलिखित कार्यालयो मे, कार्यालयीन समय मे अवकाश के दिन छोडकर, सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि मे निरीक्षण किया जा सकेगा ।

- 1 अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 2 उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोठी बाजार होशंगाबाद

अधिसूचना में वर्णित प्रस्ताव

(अ). प्रारूप विकास योजना हरदा 2031 की पुस्तिका में कतिपय स्थानों पर टंकण /मुद्रण त्रुटिया परीलक्षित हुई हैं, जिन्हें अंतिम विकास योजना की पुस्तिका में सुधार किया जाना आवश्यक है। ये टंकण/मुद्रण त्रुटिया निम्नानुसार है :-

1. हरदा विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका 4.7.1 मे भू-खंडीय ले-आऊट मे "न्यूनतम भूमि आकार 0.4 हेक्टर" के स्थान पर "न्यूनतम भूमि का आकार 2.00 हेक्टर" पढा जावे।
2. विकास योजना की कंडिका 4.24 मे "सिंगरोली उपयोग परिक्षेत्रो मे अनुमति" के स्थान पर "हरदा उपयोग परिक्षेत्रो मे अनुमति" पढा जावे।

(ब). भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण :-

1. हरदा विकास योजना 2031 के रंगीन मानचित्र 2.3 मे रेल्वे बाऊन्ड्री से (हरदा से इटारसी) लगकर "कृषि उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण उपयोग" प्रस्तावित किया गया।
2. हरदा विकास योजना के रंगीन मानचित्र 2.3 मे अजनाल नदी /टिमरन नदी के किनारे दक्षिण दिशा मे दर्शित "कृषि उपयोग" के स्थान पर वृक्षारोपण उपयोग दर्शित किया जाना प्रस्तावित है।



3. ग्राम बैरागढ, दुधकच्छ खुर्द, कोटल्या खेडी, खेडी मेहमूदाबाद, नाहल खेडा, बिरजा खेडी तथा रुपी परेटिया, मे बाढ प्रभावित क्षेत्र का अंकन किया गया है।
4. हरदा विकास योजना के रंगीन मानचित्र 2.3 मे ग्राम दुधकच्छ की भूमि पर "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण, कृषि, एवं डूब क्षेत्र" दर्शित किया गया है।

(स). हरदा विकास योजना 2031 में अन्य प्रस्तावित उपांतरण :-

1. कंडिका 4.20 (स) का द्वितीय पैरा "बायपास मार्ग के दोनो ओर 200-200 मीटर तक स्वीकार्य गतिविधियां" को विलोपित कर निम्नानुसार पैरा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
बायपास मार्ग के दोनो ओर कृषि भूउपयोग में 200-200 मीटर तक स्वीकार्य गतिविधियां:-

1. ईंधन भराव केन्द्र/सर्विस स्टेशन
2. मोटल
3. रिसोर्ट
4. होटल/टूरिज्म लॉज/रेस्ट हाऊस
5. बस स्टैण्ड /पिकअप स्टेशन/टेक्सी स्टैण्ड
6. ढाबा/रेस्टोरेंट
7. पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी
8. नाका/धर्मकांटा/वे-ब्रिज
9. भवन सामग्री स्थल
10. कोयला भण्डारण
11. दूर संचार केन्द्र/एस.टी.डी.-पी.सी.ओ./ साइबर कैफे
12. स्वास्थ्य केन्द्र/क्लीनिक
13. यात्रियों के लिये अधोसंरचना सुविधा/एम्प्लूजमेंट पार्क
14. शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय
15. भौतिक अधोसंरचना सुविधा जैसे- जल मल निकास, जल प्रदाय विधुत व्यवस्था, मार्ग इत्यादि।
16. बैंक/ए.टी.एम./ पोस्ट ऑफिस,
17. ट्रक टर्मिनल/कंटेनर डिपो
18. धर्मशाला
19. पार्किंग
20. अग्निशमन केन्द्र
21. सूचना एवं प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर इकाईयां

नोट :- बायपास मार्ग की चौड़ाई के संबंध में भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी मापदंड लागू होंगे। बायपास मार्ग पर अन्य भू-उपयोगों में सारणी 4-सा-19 में उल्लेखित उपयोग परिसर ही स्वीकार्य होंगे।

2. कंडिका 4.24 सारणी 4-सा-19 अनुक्रमांक 4 एवं 8 के अंत में निम्नानुसार स्वीकार्य उपयोग परिसर अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

अनुक्रमांक	उपयोग श्रेणियां	स्वीकृत उपयोग परिसर
4	सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** एवं सम्मेलन केन्द्र (कन्वेंशन सेंटर)
8	कृषि	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***

- i *सूचना प्राद्योगिकी से तात्पर्य है म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखंड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि, उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरणों के संबंध में यदि कोई आपत्ति / सुझाव हो, तो अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास, मंत्रालय, भोपाल को / मे लिखित से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सी.के.साधव)


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत प्रस्तावित उपान्तरण :-

- 1 रेल्वे बाऊन्ड्री से लगकर "कृषि उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण उपयोग" ।
- 2 अजनाल नदी/टिमरन नदी के किनारे दक्षिण दिशा में दर्शित "कृषि उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण उपयोग" ।
- 3 ग्राम बैरागढ़, दुधकच्छ खुर्द, कोटल्या खेडी, खेडी मेहमूदाबाद, नाहल खेडा, बिरजा खेडी तथा रूपी पटेरिया, में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ।
- 4 ग्राम दुधकच्छ की भूमि पर "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग" के स्थान पर "वृक्षारोपण , कृषि एवं डूब क्षेत्र" ।




HARDA
2.3 DEVELOPMENT PLAN
(DRAFT) 2031

हरदा
2.3 विकास योजना
(प्रारूप) 2031

संकेत
EXISTING वर्तमान
PROPOSED प्रस्तावित

RESIDENTIAL			आवासीय
COMMERCIAL			वाणिज्यिक
GENERAL			मण्डी
MANDI			यातायात नगर
TRANSPORT NAGAR			औद्योगिक
INDUSTRIAL			सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
PUBLIC & SEMIPUBLIC			सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं
PUBLIC UTILITIES & FACILITIES			मार्ग
ROADS			बस स्थानक
ROADS			रेल्वे स्टेशन
BUS STAND			रेल्वे लाइन
RAILWAY STATION			आमोद प्रमोद
RAILWAY LINE			स्टेडियम
RECREATIONAL			कृषि
STADIUM			वृक्षारोपण
AGRICULTURE			नदी / चाले
AFFORESTATION			बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
RIVER\ DRAINAGE			निवेश क्षेत्र
RIVER\ DRAINAGE			ग्राम क्षेत्र
FLOOD AFFECTED AREA			नगरपालिका क्षेत्र
FLOOD AFFECTED AREA			
PLANNING AREA			
VILLAGE AREA			
MUNICIPAL AREA			



सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र,
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, भोपाल
दिनांक: 15.02.2018

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश